

डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

यात्रा भत्ता बिल

- नाम मूल वेतन ग्रेड वेतन
- चैक प्रेषित करने के लिए पूर्ण पता बैंक व ब्रांच का नाम
- यात्रा का उद्देश्य सी. बी.एस. खाता सं.
- विश्वविद्यालय कार्य की तिथि आई.एफ.एस.सी. कोड
- संस्था का नाम व स्थान जहाँ सेवारत हैं मोबाइल नं.

यात्रा का विवरण						यात्रा का साधन सड़क/रेल तथा श्रेणी	रेल भाड़ा		आकस्मिक व्यय प्रति किमी.			सड़क भत्ता		दैनिक भत्ता		योग
प्रस्थान			आगमन				धनराशि	किमी.	धनराशि	किमी.	धनराशि	दिन	धनराशि			
स्थान	माह व दिनांक	समय	स्थान	माह व दिनांक	समय											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
							रु. पै.		रु. पै.		रु. पै.		रु. पै.	रु. पै.		

प्रमाण-पत्र

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त यात्रा हवाई जहाज/रेल/सड़क (निजी कार/टैक्सी/बस) द्वारा की है।
- यहाँ तक मुझे ज्ञात है, सड़क मार्ग की दूरी, जिसका मैंने सड़क भत्ता माँगा है, सही है।
- इस बिल का भुगतान चैक द्वारा प्राप्त किया।
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने उपर्युक्त यात्रा वास्तव में जिस श्रेणी में की है उसी श्रेणी के भाड़े की माँग कर रहा हूँ।
- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इस यात्रा का भुगतान किसी अन्य स्रोत से न लिया है और न माँगा है।
- प्रमाणित करता हूँ कि इस बैठक से पूर्व किसी बैठक में भाग लेने का यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत नहीं किया है।
- वि.वि. द्वारा या मेरे द्वारा किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण भुगतान के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा तथा उक्त बिल का भुगतान वि.वि. को वापिस करूँगा।

4999 रु. से ऊपर की राशि पर 1/- रुपये का रेवेन्यू टिकट लगाना है

प्रेषित कर्ता के हस्ताक्षर

इस विपत्र की प्रविष्टि विभागीय यात्रा भत्ता पंजिका में पृष्ठ संख्या पर अंकित कर ली गई है। यात्रा से तक विश्वविद्यालय कार्यालय की गई है तथा इस यात्रा का बिल प्रथम बार भुगतान हेतु भेजा जा रहा है।

उपकुलसचिव/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

जॉच की

लेखा विभाग

रु. का भुगतान किया जाय

लेखाकार/अधीक्षक

सहा./उप कुलसचिव(लेखा)

रु. का भुगतान करें

चैक सं. दिनांक

वित्त अधिकारी

नोट:- पृष्ठ भाग को अवश्य पढ़ें।

यात्रिक भत्ते के नियम

विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों, कार्य परिषद एवं अन्य समितियों के सदस्यों, चयन समितियों के विशेषज्ञों, प्राशिनकों परीक्षकों अनुसीमन, कर्ताओं एवं सारणीयकों आदि को राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान यात्रा-भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

दैनिक भत्ता

मुख्यालय पर एक दिन में 8 घण्टे के ठहराव पर ही एक दिन का दैनिक भत्ता देय होगा।

शासनादेश सं. जी-2-175/दस-2011-601/2011, दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा संशोधित।

क्र.सं.	मूल वेतन/ग्रेड पे	प्रथम श्रेणी कानपुर, लखनऊ, आगरा वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्ध नगर) और गाजियाबाद	द्वितीय श्रेणी मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर शाहजहाँपुर, फैजाबाद, फिरोजाबाद मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद	तृतीय श्रेणी साधारण दर स्तम्भ 3 तथा 4 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए	अनुषांगिक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	रु० 8700 तथा उससे अधिक ग्रेड वेतन एवं उच्च वेतनमान	465	375	300	35 पैसे प्रति किमी०
2.	रु० 7600, 6600 तथा 5400	420	330	270	35 पैसे प्रति किमी०
3.	रु० 4800 व रु० 4600	360	285	240	25 पैसे प्रति किमी०
4.	रु० 4200 तथा रु० 2800	300	240	195	25 पैसे प्रति किमी०
5.	रु० 2800 से कम	195	150	120	15 पैसे प्रति किमी०

सड़क भत्ता :

- अ- कार, टैक्सी जीप आदि से यात्रा करने के लिए माननीय कुलपति जी की पूर्व स्वीकृत अनिवार्य है।
- ब- कार, टैक्सी जीप से यात्रा करने पर यदि रास्ते में टोल है तो उसकी रसीद संलग्न करना अनिवार्य है।
- स- टैक्सी से यात्रा करने पर फर्म का बिल मूल रूप में जी.एस.टी. नम्बर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- द- स्वयं का वाहन होने की दशा में वाहन संख्या एवं डीजल/पेट्रोल दोनों में से किस से चालित है, स्पष्ट लिखा जाये।

(1) मोटर कार, जीप, कार से की गई सड़क यात्राओं के लिये-

क्र.	विवरण	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
क	प्रथम 500 किमी० तक तय की गई दूरी	रु० 10.00 प्रति किमी०	रु० 7.50 प्रति किमी०
ख	500 किमी० से अधिक परन्तु 1200 किमी० तक तय की गई दूरी	रु० 07.00 प्रति किमी०	रु० 5.50 प्रति किमी०

(2) स्कूटर, मोटर साइकिल आदि से यात्रा रु० 5.00 प्रति किमी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक माह में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 1000/- से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।

सड़क भत्ता- यात्रा पर जाते समय तथा गंतव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच तय की जाने वाली अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु० 10.00 प्रति किमी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग तीन के अनुसार जिलाधिकारी कार्यालय से रेलवे स्टेशन की दूरी निम्नवत् है-

क्र.सं.	जनपद का नाम	रेलवे स्टेशन की दूरी	क्र.सं.	जनपद का नाम	रेलवे स्टेशन की दूरी
1.	आगरा-किला	2 किमी०	11.	सहारनपुर	1.8 किमी०
	आगरा-कैण्ट	4 किमी०	12.	गोरखपुर	1.5 किमी०
	आगरा-राजामण्डी	3 किमी०	13.	झांसी	3.2 किमी०
2.	अलीगढ़	1.5 किमी०	14.	कानपुर सेन्ट्रल	3.2 किमी०
3.	इलाहाबाद	4.6 किमी०	15.	लखनऊ	3.00 किमी०
4.	आजमगढ़	3.4 किमी०	16.	मैनपुरी	3.2 किमी०
5.	बरेली	1.1 किमी०	17.	मथुरा जंक्शन	3.4 किमी०
6.	एटा	2.7 किमी०	18.	मुरादाबाद	2.01 किमी०
7.	फैजाबाद	1.3 किमी०	19.	मुजफ्फरनगर	1.1 किमी०
8.	गाजीपुर	1.3 किमी०	20.	शाहजहाँपुर	1.8 किमी०
9.	वाराणसी	2.5 किमी०	21.	रामपुर	1.6 किमी०
10.	मेरठ	4.7 किमी०	22.	फर्रुखाबाद	2.0 किमी०